

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)
 (A Central University)

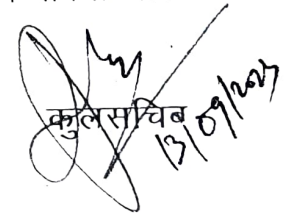
क्र. / आर / अनु.नियु. / 2023 / 8386

11/ सितम्बर 2023

अति-आवश्यक सूचना
 (अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन हेतु)

विश्वविद्यालय की पूर्व सूचना क्र. स्था./अनुकंपा/2023/8004 दिनांक 19 जनवरी 2023 के अनुक्रम में अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के नियम एवं दिशा निर्देशों के परिपालन में आवेदकों को अपने सभी मूल दस्तावेजों जैसे आश्रितों/सदस्यों की जानकारी (परिवार के सदस्यों एवं बच्चों की आयु एवं वैवाहित स्थिति, आय के स्रोत आदि का विवरण), पेंशन, गेज्यूटी, बीमा राशि, जी.पी.एफ. एन.पी.एस. अर्जित अवकाश नगदीकरण, एफ.बी.एल.आई.सी., बैंक स्टेटमेंट, आई.टी.आर., वार्षिक आय एवं चल एवं अचल सम्पत्ति के अद्यतन/वर्तमान मूल्यांकन संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित समस्त दस्तावेज/शपथ-पत्र का भौतिक सत्यापन अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियुक्त कल्याण अधिकारी के समक्ष किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक व्यक्तिगत रूप से संलग्न सूची में दर्शित दिनांक/समय पर स्थापना शाखा में उपस्थित होकर कल्याण अधिकारी (अनुकंपा नियुक्ति) के समक्ष उक्त पैरा में दर्शित मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक रूप से करावें। अन्यथा की स्थिति में भविष्य में किसी भी प्रकार का सुधार या संशोधन संबंधी दावा मान्य नहीं होगा।


 कुलसचिव 11/9/23

संलग्नक:-

1. अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आवेदकों की सूची (निर्धारित दिनांक/समय सहित)
2. दस्तावेजों के सत्यापन हेतु चैक लिस्ट/सूची
3. भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित 100 पॉइंट सिस्टम में दर्शित बिन्दु



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)
www.dhsgsu.edu.in

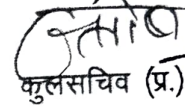
क्रमांक / स्था. / अनुकम्पा / 2023 / 8004

19 जनवरी 2023

// सूचना //

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की कार्यपरिषद की संपन्न हुई बैठक दिनांक 14 नवम्बर 2022 को पद क्रमांक : EC-XXVIII-(IV)-(iv) के अंतर्गत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित 100 प्वाइंट स्केल/मेरिट प्वाइंट सिस्टम को अंगीकृत कर लिया गया है। उक्त 100 प्वाइंट स्केल/मेरिट प्वाइंट सिस्टम संबंधी समस्त जानकारी सुलभ संदर्भ हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dhsgsu.edu.in पर उपलब्ध है।

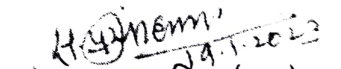
आदेशानुसार,


कुलसचिव (प्र.)

18/01/23

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सर्व संबंधितगण।
2. समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिष्ठाता/निदेशकगण।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, प्रो. इं चार्ज लाइब्रेरी, प्रभारी वित्ताधिकारी।
5. समस्त अधिकारीगण/समस्त कर्मचारीगण।
6. उपकुलसचिव (समिति)
7. समस्त शाखा प्रभारी।
8. प्रभारी मीडिया अधिकारी।
9. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल एवं वि.वि. वेबसाइट सेल - कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कुलपति के सचिव - माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
11. कुलसचिव के निज सहायक।
12. गार्ड फाईल।


संयुक्त कुलसचिव (स्था.)